प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.09.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा गोवध से सम्बन्धित मुकदमे में वांछित चल रहे 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध व आपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु व अभियोगों में वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(सदर) विनय कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर आशुतोष के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में उ.नि. अरविन्द सोनकर एवं अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अलीनगर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 201/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित वांछित मुकदमें से सम्बन्धित वाहन संख्या UP67AT9388 का चालक अर्जुन कुमार पुत्र त्रिवेणी बिन्द उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम कठौड़ी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को चाय की दुकान पचफेड़वा तिराहे थानाक्षेत्र अलीनगर जनपद चन्दौली के पास से गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमें में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

अर्जुन कुमार पुत्र त्रिवेणी बिन्द उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम कठौड़ी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त –

1.मु0अ0सं0 201/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

गिरफ्तारी का स्थान –

स्थान – पचफेड़वा तिराहा चाय की दुकान थानाक्षेत्र अलीनगर जनपद चन्दौली ।

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ.नि. अरविन्द सोनकर थाना अलीनगर चन्दौली

3.का. मानसिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना धानापुर जनपद चन्दौली

थाना धानापुर पुलिस टीम द्वारा एनडीपीएस एक्ट से सम्बधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्घे द्वारा जनपद चन्दौली में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी पर रोकथाम व बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये आदेश निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धानापुर प्रशान्त कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रमेश यादव मय पुलिस टीम को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर से सूचना मिली कि मु.अ.सं. 148/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मनोज गुप्ता ग्राम डबरिया के पास मौजूद है, जो किसी कार्य से आया हुआ है, मुखबिर की निशानदेही पर वांछित अभियुक्त मनोज गुप्ता को ग्राम डबरिया के पास से पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मनोज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 राजकुमार गुप्ता निवासी ग्राम तेजोपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली बताया। गिरफ्तारअभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।

पूर्व की घटना- थाना स्थानीय पर दिनांक 23.08.2024 को मु.अ.सं. 148/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था, मौके से पकड़े गये अभियुक्तगणों शुभम यादव पुत्र रामदुलार यादव व वारिस रसीद पुत्र मो0 इजहार निवासी ग्राम डिहवा थाना जफरपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के पास से लगभग 02 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। जिन्हें नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध कराया गया था। अवैध गांजे के व्यापार में सम्मिलित अभियोग में वांछित अभियुक्त मनोज गुप्ता की तलाश की जा रही थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.मनोज कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 राजकुमार गुप्ता निवासी ग्राम तेजोपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 148/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धानापुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष प्रशान्त कुमार सिंह थाना धानापुर जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 रमेश यादव चौकी प्रभारी नगवां थाना धानापुर जनपद चन्दौली
3. हे0का0 हरिशंकर सिंह थाना धानापुर जनपद चन्दौली
4. का0 बबलू चौहान थाना धानापुर जनपद चन्दौली

(आपरेशन कन्विक्शन)

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक **01.09.2009** को धारा **8/22** एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त **1.**अख्तर कुरेशी पुत्र मंसूर कुरेशी निवासी खुर्माबाद थाना चेनरी जिला रोहतास के विरुद्ध अपराध संख्या- **177/2009** धारा **8/22** एनडीपीएस एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय पाण्डेय (एपीओ),मनीष कुमार(एसपीओ)व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-**18.09.24** को पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा **1.**अख्तर कुरेशी पुत्र मंसूर कुरेशी निवासी खुर्माबाद थाना चेनरी जिला रोहतास को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व **5000** रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक-18.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 26.11.09 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मु0 इकबाल पुत्र मु0 फहीम निवासी खुर्माबाद थाना चेनरी जिला रोहतास के विरुद्ध अपराध संख्या- 241/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय पाण्डेय (एपीओ),मनीष कुमार(एसपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-18.09.24 को पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा 1.मु0 इकबाल पुत्र मु0 फहीम निवासी खुर्माबाद थाना चेनरी जिला रोहतास को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली

साइबर क्राइम टीम द्वारा आवेदक का फ्राड धनराशि -37000/- रुपये कराया गया वापस

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार,अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व पुलिस उपाधीक्षक आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष साइबर क्राइम वीरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली के साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के चलते आवेदक वेद प्रकाश पुत्र हंस राज राम निवासी मुगलसराय थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली का फ्राड तरीके से 37000/- रुपये की आनलाइन किताब खरीदने के नाम पर धोखाधडी की गयी थी. जिसके सम्बन्ध में आवेदक वेद प्रकाश उपरोक्त द्वारा थानाध्यक्ष के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 37000/- रुपये को आवेदक के खातें में वापस करायी गयी। आवेदक वेद प्रकाश उपरोक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक चन्दौली,अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक थाना साइबर क्राइम, साइबर थानाध्यक्ष एवं साइबर क्राइम टीम जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया।

आवेदक का नाम/पता-

वेद प्रकाश पुत्र हंस राज राम निवासी मुगलसराय थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगीः-

वापस करायी गयी धनराशि रुपया – 37000/-

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)

का0 अनिल कुमार

का0 मो0 नौशाद

का0 आशुतोष

प्रेस नोट-दिनांकः 18.09.2024

यातायात पुलिस चंदौली

यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 17.09.2024 व 18.09.2024 को कुल 221 वाहनों का चालान करते हुए 2,50,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक **17.09.2024** व **18.09.2024** जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल **221** वाहनों का चालान करते हुए **2,50,500/-** ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि ”सीटबेल्ट” का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय ”हेलमेट” का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार चालान की संख्या

1 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-08

2. बिना हेलमेट-105

3. नो पार्किंग-63

4. बिना इंश्योरेंस-07

5. गलत नंबर प्लेट- 07

6. यातायात नियमों का उलंघन-29

7. अन्य- 02

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 17.09.2024 व 18.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-221

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-2,50,500/- रूपयें।

प्रेस नोट दिनांक-18.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना सकलडीहा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 17.06.2001 को धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राजनाथ पुत्र स्व0 गणेश यादव निवासी लेहरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 53/2001 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार मुख्य आरक्षी उमेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-18.09.24 को पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा .राजनाथ पुत्र स्व0 गणेश यादव निवासी लेहरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

प्रेस नोट दिनांक-18.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्यामबाबू(अपर सत्र न्यायधीश/एफटीसी प्रथम चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास की सजा व 15000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना शहाबगंज के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 06.08.2020 को धारा 498ए, 304बी,504,506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.धर्मवीर मौर्य पुत्र रामबिलास मौर्य 2.कंचन देवी पत्नी रामबिलास 3.परमानन्द मौर्य पुत्र रामबिलास मौर्य निवासीगण निवासी ग्राम भटरौल थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 41/20 धारा 498ए,304बी,504,506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना शहाबगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी उमाशंकर की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-18.09.24 को पीठासीन अधिकारी श्री श्यामबाबू(अपर सत्र न्यायधीश/एफटीसी प्रथम चन्दौली) द्वारा 1.धर्मवीर मौर्य पुत्र रामबिलास मौर्य निवासी ग्राम भटरौल थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली को 05 वर्ष कारावास की सजा व 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक- 18.09.2024

जनपद चन्दौली

 जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

 जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 51 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 18.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 51 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।